फर्द अहकाम

अज अदालत–न्यायालय जिला कलक्टर–मुकाम–भरतपुर

"मै0 हिमगिरी ट्रेडर्स वगै0 बनाम बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भरतपुर

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र रिव्यू/सरफेसी एक्ट नम्बर 72 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
12.09.2024	अभिभाषक देवेन्द्र पाल सिंह ने मै0 हिमगिरी ट्रेडर्स प्रोपराईटर हरिओम नारंग पुत्र स्व0 श्री हंसराम नारंग एवं अन्य की ओर से बाबत इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.08.2024 को रिव्यू/रिकॉल किये जाने प्राप्त हुआ है। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी0 ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि इस न्यायालय द्वारा प्रकरण अंतर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 प्रार्थना पत्र संख्या 57/2024 उनवानी **बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भरतपुर बनाम मै0 हिमगिरी ट्रेडर्स वगै0** में पारित निर्णय दिनांक 23.08.2024 को रिव्यू/रिकॉल किया जाकर प्रार्थीगण को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान कर उक्त प्रकरण में पुनः निर्णय पारित किये जाने हेतु पेश किया गया है। प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की किस धारा एवं किस अधिनियम/नियमों के तहत पेश किया गया है, का कोई उल्लेख प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया गया है। सरफेसी एक्ट के तहत ऋणी/अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस कारण प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं रहता है। अगर प्रार्थीगण को न्यायालय हाजा के निर्णय से कोई उज्र है तो नियमों के तहत सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने को स्वतंत्र है। अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो, फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर भरतपुर	